बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
आरटीआई-आनलाइन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार

1- किस लोक प्राधिकरण में मैं एक अनुरोध दायर कर सकता हूं

आवेदक, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों और सार्वजानिक प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2- मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन कैसे लिख सकता हूँ?

आवेदन का मूल पाठ, निर्धारित कालम में लिखा जा सकता है। वर्तमान में आवेदन के पाठ केवल फार्म की निर्धारित कॉलम में 500 वर्ण तक ही सीमित है। यदि एक आवेदन पत्र के मूल पाठ (नाम, पता आदि को छोड़कर) में 500 शब्दों से अधिक शब्द हैं तो आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

3- मैं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को सूचना का अधिकार नियम के अनुसार, किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालाकि, आवेदक को आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र (जो कि समुचित सरकार द्वारा जारी किया गया हो) कि एक प्रति संलग्न करनी होगी।

गैर बीपीएल आवेदकों के मामले में, पहले पेज भरने के बाद, भुगतान पेज (जिस पर आवेदक निर्धारित आरटीआई शुल्क के भुगतान के लिए) के बटन "भुगतान करें" पर क्लिक करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। आवेदक इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से निर्धारित आरटीआई शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4- क्या मुझे आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए, कोई रसीद मिलती है?

एक आरटीआई आवेदन पर एक अिद्वतीय पजीकरण संख्या जारी किया जाएगा, जिसका आवेदक द्वारा अविष्य में किसी भी सदर्भ के लिए उल्लेख किया जा सकता है। यह अिद्वतीय संख्या आवेदक को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

आरटीआई-ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर आवेदन, सबंधित विभाग / सार्वजनिक प्राधिकरण नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचेगा।

नोडल अधिकारी आरटीआई आवेदन को संबंधित पी० आई० ओ० को इलेक्ट्रॉनिक या कागजी प्रति के रूप में प्रेषित करेगा।

5- मेरे आवेदन का क्या होगा अगर मैं निर्धारित प्रपत्र में एक गलत विभाग और लोक प्राधिकरण का चयन करता हूँ।

यदि आरटीआई आवेदन विभाग/ लोक प्राधिकरण, जिसे आवेदक दवारा चुना गया है. से संबंधित नहीं है. उस विभाग/लोक प्राधिकरण का नोडल अधिकारी' आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित विभाग/लोक प्राधिकरण को (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6(3) के तहत) स्थानांतरित करेगा।

6- क्या मुझे अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो) का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में सूचित किया जाएगा?

यदि आवेदन संबंधित अतिरिक्त शुल्क यथा फोटोप्रति या निरीक्षण शुल्क, जमा करना हो तो नोडल अधिकारी ऐसे शुल्क के बारे में आवेदक को सूचित करेगा जो कि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर View Status" पर देखा जा सकता है। इस सन्दर्भ में आवेदक को ई-मेल द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। तदुपरात आवेदक अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या देने के उपरांत अतिरिक्त शुल्क जमा करा सकते हैं।

7. मैं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ एक अपील कैसे दर्ज करूँ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिये आवेदक submit appeal पर क्लिक करेंगे और उसमे निर्धारित प्रपत्र खुल जायेगा जिसके द्वारा अपीलकर्ता अपनी अपील मूल आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या के सन्दर्भ के साथ भेज सकेगा।

आरटीआई ऑनलाइन पर दाखिल की गयी अपील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वत ही सम्बंधित नोडल अपीलीय अधिकारी को पहुंच जायगी, तदुपरान्त नोडल अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील को सम्बंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या कागजी प्रति दवारा प्रेषित कर देगा।

8- क्या मुझे एक अपील दाखिल करने के लिए भुगतान करने की जरूरत है।

नहीं।

9- क्या मुझे आरटीआई-ऑनलाइन पोर्टल से एसएमएस मिलता है।

एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक / अपीलार्थी द्वारा मोबाइल नंबर दिया जा सकता है।

10- मैं किससे संपर्क करू यदि मुझे पोर्टल से संबधित कोई जानकारी या सुझाव देने है।

इस पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सामान्य कार्यालय समय के दौरान (सभी कार्य दिवसों पर 10:00-17:00 बजे) दूरभाष नम्बर- 0522-7118629 पर संपर्क करें या **onlinertihelpline.up@gov.in** पर ईमेल भेजें।